सं० सं०–म० नि०–II–उ० यो०–99/2022–23 ..11 ST ....

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(मत्स्य प्रभाग)

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी0, भा0प्र0से0,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड, राँची।

द्वारा :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची, दिनांक 04.07.25

विषय– **वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य योजनान्तर्गत "मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना" अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2405–मछली पालन के तहत कुल मो0 1339.880 लाख (तेरह करोड़ उनचालीस लाख अठासी हजार) रुपये मात्र की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य योजना "मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना" अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में बजट शीर्ष–2405–मछली पालन में उपलब्ध बजटीय उपबंध मो0 1340.00 लाख रु0 मात्र के विरुद्ध 1339.880 लाख (तेरह करोड़ उनचालीस लाख अठासी हजार) रुपये मात्र के व्यय पर योजना कियान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त योजना के तहत् मत्स्य मित्रों/स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं द्वारा किये जाने वाले विभिन्न कार्यों हेतु पारिश्रमिक का भुगतान, केज मित्रों के द्वारा सूचना संग्रहण एवं तकनीकी सहायता, तालाबों के सैटेलाईट मैपिंग तथा मोबाईल एप्प के साथ वेब जी0आई0एस0 एप्लीकेशन, विभागीय जलक्षेत्र में मिश्रित मत्स्य पालन, मत्स्य बीज उत्पादकों/मत्स्य मित्रों से सीधे संवाद हेतु मोबाईल रिचार्ज कूपन, अमूर कार्प/जयंति रोहू/तिलापिया/अमृत कतला आदि के बीज का संचयन, जलाशय स्तरीय मछुआरों (बिरसा मत्स्य किसानों) के लिए आईडेन्टिटी कार्ड (डेटा सहित), केज मत्स्य पालकों को लाईफ जैकेट, मोती पालन, निजी क्षेत्र में महाझींगा पालन, देशी मांगुर आदि प्रजातियों का पालन, CIFRI, कोलकाता के माध्यम से Scampi fisheries in underutilized reservoirs तथा प्रगतिशील मत्स्य कृषकों/बीज उत्पादकों को पुरस्कार/सम्मान आदि कार्य किये जायेंगे। साथ ही उक्त स्वीकृत राशि से वर्तमान समय में 7500 मत्स्य बीज उत्पादकों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण, मत्स्य बीज उत्पादकों/मत्स्य कृषकों आदि हितधारकों का एक से तीन दिवसीय कार्यशाला/सेमिनार का आयोजन, 6642 मत्स्य कृषकों/मत्स्य मित्रों/बीज उत्पादकों/अग्रणी मत्स्य पालकों/विक्रेताओं का पाँच दिवसीय प्रशिक्षण, 21300 मत्स्य कृषकों के साथ वर्ष में दो बार गोष्ठी का आयोजन एवं विभिन्न मत्स्य अनुसंधान कार्य के साथ अन्य स्वीकृत कार्यों पर व्यय किया जायेगा। तद्नुसार संलग्न परिशिष्ट I, II, III, IV एवं V में उल्लिखित जिलावार/स्थापनावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुसार योजना कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि मो0 1339.880 लाख (तेरह करोड़ उनचालीस लाख अठासी हजार) रुपये मात्र की निकासी निम्नांकित बजट शीर्ष से की जाएगी :–

माँग सं0–53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) – मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन–उप शीर्ष–20–मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना

(राशि लाख रू0 में)

कम	लघु शीर्ष	बजट उपबंध	स्वीकृत राशि	अवशेष राशि
(क)	लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली पालन			
विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्ते				
1	09 मानदेय 53S24050010120010109	64.000	64.000	0.000

विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय				
2	19 मुद्रण53S24050010120010319	11.000	11.000	0.000
3	20 मेला एवं प्रदर्शनी53S24050010120010320	27.500	27.500	0.000
4	21 सेमिनार/समारोह/कार्यशाला 53S24050010120010321	18.000	18.000	0.000
5	23 आपूर्ति एवं सामग्री53S24050010120010323	195.000	195.000	0.000
6	35 प्रशिक्षण व्यय53S24050010120010335	95.000	95.000	0.000
विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय				
7	59 अन्य व्यय53S24050010120010759	10.000	9.9000	0.100
	उप योग :	420.500	420.400	0.100
(ख)	लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्ते				
1	09 मानदेय53S24050078920010109	24.000	24.000	0.00
विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय				
2	21सेमिनार/समारोह/कार्यशाला 53S24050078920010321	4.000	4.000	0.000
3	23 आपूर्ति एवं सामग्री53S24050078920010323	45.000	45.000	0.000
4	35 प्रशिक्षण व्यय 53S24050078920010335	35.000	34.980	0.020
विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय				
5	59 अन्य व्यय53S24050078920010759	3.000	3.000	0.000
	उप योग :	111.000	110.980	0.020
(ग)	लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना			
विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्ते				
1	09 मानदेय53S24050079620010109	105.000	105.00	0.000
विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय				
2	19 मुद्रण53S24050079620010319	23.000	23.000	0.000
3	20 मेला एवं प्रदर्शनी53S24050079620010320	52.500	52.500	0.000
4	21 सेमिनार/समारोह/कार्यशाला 53S24050079620010321	30.000	30.000	0.000
5	23 आपूर्ति एवं सामग्री53S24050079620010323	265.000	265.000	0.000
6	29 व्यवसायिक सेवाएँ53S24050079620010329	130.000	130.000	0.000
7	31 परामर्शी शुल्क53S24050079620010331	25.000	25.000	0.000
8	35 प्रशिक्षण व्यय53S24050079620010335	135.000	135.000	0.000
9	80 मूल्यांकन53S24050079620010380	20.000	20.000	0.000
विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय				
10	59 अन्य व्यय53S24050079620010759	13.000	13.000	0.000
11	81 सूचना, संचार एवं संचरण सेवाएँ53S24050079620010781	10.000	10.000	0.000
	उप योग :	808.500	808.500	0.000
	सकल योग :	1340.000	1339.880	0.120

कुल मो0 (तेरह करोड़ उनचालीस लाख अठासी हजार) रुपये मात्र।

3. यह एक चालू प्रकृति की योजना है।

4. योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची, जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी), जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी), सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, राँची एवं मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, रॉची होगें जो राशि की निकासी संलग्न परिशिष्ट I, II, III, IV एवं V में दिये गये भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरुप दिये गये आवंटन के अंतर्गत संबंधित कोषागार से करेंगे।

5. योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची होगें जो सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड के सर्वोच्च नियंत्रण अंतर्गत समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे तथा समय–समय पर आवश्यक निदेश योजनाओं के सफल कार्यान्वयन हेतु निर्गत करेंगे।

6. (क) मत्स्य मित्रों/स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं को उनके द्वारा सम्पादित कार्यों/भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धि के विरुद्ध पारिश्रमिक का भुगतान किया जायेगा। यह पारिश्रमिक कार्य की प्रगति, क्षेत्रीय भौगोलिक विस्तार आदि के अनुरूप होगा। मत्स्य निदेशालय स्तर पर उप मत्स्य निदेशक (स्थापना) की अध्यक्षता में गठित कमिटि द्वारा ज्ञापांक 2075 दिनांक 11.12.2023 द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर मत्स्य मित्रों/स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं द्वारा किये जाने वाले कार्यों के विरूद्ध पारिश्रमिक देय होगा।

(ख) केज कल्चर के स्थलों से सूचनाओं की प्राप्ति एवं आँकड़ों के संधारण हेतु केज मत्स्य मित्र कार्य करेंगे। इनके द्वारा केज स्थल पर जाकर सूचना संग्रहण किया जायेगा एवं तकनीकी सहायता का आदान प्रदान किया जायेगा। निदेशक मत्स्य द्वारा इसके लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 में निदेशालय पत्रांक 1546 दिनांक 13.08.2018 द्वारा दिशा निदेश एवं प्रपत्र संबंधित जिलों को निर्गत किया गया है।

(ग) विभागीय तालाबों में सघन मिश्रित मत्स्य पालन का प्रत्यक्षण किया जायेगा, जिसपर प्रति एकड़ 40,000/– रु0 मात्र व्यय किये जायेंगे एवं उत्पादित मछली का जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति से बिक्री मूल्य निर्धारित कराकर बिक्री की जायगी तथा राशि कोषागार में जमा होगी।

(घ) विगत् वित्तीय वर्ष 2024–25 के अनुरुप इस वर्ष भी राज्य के मत्स्य बीज उत्पादकों/मत्स्य मित्रों तथा विभागीय क्षेत्रीय कर्मियों के लिये मोबाईल रिचार्ज कूपन हेतु राशि व्यय की जायेगी।

(ड•) अमूर कार्प/जयंती रोहू/तिलापिया/अमृत कतला आदि के मत्स्य बीज का संचयन किया जायेगा।

(च) जलाशय स्तरीय 1050 मछुआरों के लिए आईडेन्टिटी कार्ड (डेटा सहित) हेतु राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस कार्ड पर जिला मत्स्य पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर होगा, **बिरसा मत्स्य किसान** {कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग), झारखण्ड सरकार का पत्रांक 1257 दिनांक 23.08.2021 के आलोक में} अंकित होगा एवं संबंधित सभी सूचनाएँ जिला मत्स्य कार्यालय में हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में सुरक्षित रखी जायेंगी।

(छ) प्रचार/प्रसार/पोस्टर/पम्पलेट/बुकलेट/प्रचार–सामग्री/विभागीय पुस्तकें, दस्तावेज आदि की छपाई/मेला/प्रदर्शनी/डॉक्यूमेंट्री फिल्म/डेटा इन्ट्री/फोटोग्राफी/सेमिनार/समारोह/कार्यशाला/मत्स्य कृषकों की गोष्ठी/राज्य प्रायोजित समारोह/सेवा शुल्क/तकनीकी सेवा शुल्क/बाह्य श्रोत से प्राप्त की जानेवाली PMU/Block chain technology (विभागीय पत्रांक 102 दिनांक 29.01.2025 के क्रम में) जैसी अन्य सेवाएँ/विशेषज्ञों का सेवा शुल्क/परामर्श, अनुसंधान तथा तकनीकी सहायता पर व्यय/डी0 पी0 आर0 तथा योजनाओं आदि के मूल्यांकन पर व्यय आदि कार्यों के लिये भी राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। आवश्यकतानुसार अतिरिक्त राशि की स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।

(ज) राज्य से पंचायत स्तर तक मत्स्य पालकों के बीच जागरुकता बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष में दो बार गोष्ठी का आयोजन किया जायेगा, जिसपर 100/–रु0 प्रतिदिन प्रति बिरसा मत्स्य किसान की दर से राशि व्यय की जायेगी।

(झ) उत्कृष्ट मत्स्य कृषकों, मत्स्य बीज उत्पादकों तथा हैचरी संचालकों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिये पुरस्कार स्वरुप/सम्मानित करने हेतु अधिकतम् राशि 30,000/–रु0 प्रति चयनित कृषक पुरस्कार के रुप में 12 Paddle Wheel Aerator (विभाग द्वारा अनुमोदित) अथवा मत्स्य बीज पैकेजिंग हेतु ऑक्सीजन सिलिन्डर (accessories सहित) के क्रय हेतु प्रोत्साहन राशि उनके बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से दी जायेगी।

लाभुकों का चयन समाचारपत्र में विज्ञापन के उपरान्त प्राप्त आवेदनों में से जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति द्वारा किया जाएगा एवं संचिका के माध्यम से संबंधित जिला के उपायुक्त को अवगत कराया जाएगा।

7. संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/जिला मत्स्य पदाधिकारी का दायित्व होगा कि वे लाभुकों द्वारा किये गये कार्यों से संबंधित स्थल जॉच एवं ठोस कागजाती सबूत देख कर संतुष्ट होने के बाद ही राशि का भुगतान करेंगे।

8. परिशिष्ट–IV में उल्लिखित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरुप राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

क. राज्य में मत्स्य बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराने एवं मत्स्य बीज उत्पादकों को अद्यतन तकनीक से अवगत कराने एवं उनकी समस्याओं के निदान हेतु 7500 बीज उत्पादकों के लिये विभिन्न सत्रों में तीन दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जायेगा। मत्स्य बीज उत्पादकों के तीन दिवसीय प्रशिक्षण के आयोजन हेतु प्रति प्रशिक्षणार्थी अधिकतम् 225/–रु0 की दर से राशि व्यय की जायेगी एवं मार्ग व्यय, आवासन आदि पर व्यय प्रशिक्षणार्थी द्वारा स्वयं किया जायेगा।

ख. मत्स्य बीज उत्पादकों/मत्स्य कृषकों आदि हित धारकों के एक से तीन दिवसीय कार्यशाला/सेमिनार तथा रिफ्रेसर कोर्स के आयोजन हेतु प्रति प्रशिक्षणार्थी अधिकतम् 1500/–रु0 की दर से राशि आकलित की गई है। इसमें 200/–रु0 की राशि प्रतिदिन की दर से प्रति व्यक्ति को एवं संस्थागत् व्यय के रुप में 100/– रु0 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तथा आने–जाने हेतु अधिकतम प्रति व्यक्ति 600/– रु0 अथवा वास्तविक भाड़ा जो भी कम हो, का भुगतान किया जायेगा। कार्यशाला/सेमिनार की राशि से आवश्यकतानुसार आर0एफ0एफ0 लाभुक समूहों, केज मत्स्य पालकों, हैचरी संचालकों, मत्स्य विक्रेताओं, विभागीय पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों आदि के समूहों की भी कार्यशाला/सेमिनार का आयोजन किया जा सकेगा।

ग. मत्स्य कृषकों/मत्स्य मित्रों/मत्स्य ब्रीज़ उत्पादकों/अग्रणी मत्स्य पालकों/मत्स्य विक्रेताओं आदि को राज्य में मछली पालन की नवीन तकनीक एवं विधियों से अवगत कराने हेतु पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन के लिये प्रशिक्षणार्थियों को यात्रा एवं मानदेय का भुगतान सभी वित्तीय नियमों का पालन करते हुए किया जायगा। प्रति प्रशिक्षणार्थी 200/–रु0 प्रतिदिन की अनुमानित दर से 1000/– रू0 प्रति प्रशिक्षणार्थी को भुगतान किया जायेगा एवं 100/– रु0 प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रतिदिन अनुमानित संस्थागत् व्यय के रुप में प्रशिक्षण सत्र आयोजन, अतिथि व्याख्याताओं को मानदेय एवं प्रशिक्षणार्थियों हेतु फोल्डर आदि पर व्यय की जायेगी। प्रशिक्षणार्थियों को अधिकतम 600/– रु0 मार्ग व्यय (अथवा वास्तविक भाड़ा जो भी कम हो, जिला मुख्यालय से मुख्यालय राँची तक) भुगतान किया जायेगा।

मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, गुमला तथा अन्य चार प्रमण्डलों में सुविधानुसार मत्स्य कृषकों तथा विद्यार्थियों के लिए संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारियों के सहयोग एवं समन्वय से पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भी उपरोक्त के क्रम में किया जाएगा।

प्रगतिशील मत्स्य कृषकों, मत्स्य विक्रेताओं आदि लाभुकों को राज्य के बाहर तथा राज्य में संचालित विशेष परियोजनाओं/स्कीम्स के स्थल भ्रमण/प्रशिक्षण हेतु भेजा जायेगा, जिसमें प्रशिक्षण शुल्क, प्रशिक्षण भत्ता के साथ–साथ वास्तविक मार्ग व्यय यथा समेकित वाहन–भाड़ा/बस भाड़ा अथवा ट्रेन का स्लीपर श्रेणी का भाड़ा आदि का वहन सभी वित्तीय नियमों का पालन करते हुए किया जायेगा।

राज्य के बाहर स्थानीय परिभ्रमण, प्रशिक्षण की संस्था द्वारा मॉगा गया संस्थागत् व्यय आदि का भुगतान भी इससे किया जा सकेगा।

इस योजना अन्तर्गत प्रशिक्षण मद में स्वीकृत राशि से विभागीय पदाधिकारियों/कर्मियों के राज्य में तथा राज्य के बाहर प्रशिक्षण पर भी आवश्यकता अनुसार राशि व्यय की जा सकेगी तथा उनके वेतनमान के अनुरूप वित्त विभाग के संकल्प के अनुसार राशि का भुगतान यात्रा मद एवं प्रशिक्षण मद में किया जायेगा।

विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण देने हेतु विषय–वस्तु विशेषज्ञों/अतिथि व्याख्याताओं/प्रशिक्षकों/वैज्ञानिकों के आने–जाने का व्यय (TA / DA) तथा उनके पद के अनुरुप मानदेय का भुगतान लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के तहत् विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–31–परामर्शी शुल्क के तहत् अनुमान्य होगा।

घ. परिशिष्ट – IV में आपूर्ति एवं सामग्री मद में कर्णांकित राशि का व्यय मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची के लिए आवश्यक सामग्रियों के कय के लिए भी किया जा सकेगा। सामग्रियों का कय GeM के माध्यम से किया जाना है। वित्त विभाग, झारखण्ड के संकल्प सं0 2353 दिनांक 08.10.2021 के आलोक में GeM Portal पर सामग्रियों/सेवाओं की अनुपलब्धता की स्थिति में GeM के माध्यम से रिपोर्ट प्राप्त करते हुए सक्षम स्तर से सहमति प्राप्त कर वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों/आदेशों/संकल्पों के आलोक में सामग्रियों/सेवाओं की अभिप्राप्ति की जाएगी।

ङ. झारखण्ड सरकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा निर्गत विभागीय संकल्प सं0–773 दिनांक 20.06.2013 के तहत् मत्स्य कृषकों/मत्स्य मित्रों/मत्स्य बीज उत्पादकों के प्रशिक्षण हेतु चयन अथवा अनुशंसा का प्रत्यायोजन स्तर ग्राम पंचायत होगी एवं इसके संपादन में जिला मत्स्य पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/प्रशिक्षित मत्स्य मित्र आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

च. सरकार द्वारा निर्धारित एवं समय–समय पर जारी किये जाने वाले प्रावधानों तथा माप–दण्डों के अंतर्गत ही इस योजना अंतर्गत गोष्ठी, प्रशिक्षण आदि कार्यकमों का कियान्वयन किया जायेगा।

9. वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान नव–चयनित मत्स्य मित्रों/मत्स्य कृषकों को पाँच दिनों का प्रशिक्षण देते हुए तत्संबंधी सूची को एक पुस्तिका के रुप में संकलित करते हुए प्रकाशित किया जाये ताकि समय–समय पर इन मत्स्य मित्रों/मत्स्य कृषकों से सम्पर्क करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

10. परिशिष्ट–V में उल्लिखित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरुप मत्स्य अनुसंधान कार्य किया जायेगा :

क. मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा शालीमार मत्स्य प्रक्षेत्र में पंगेशियस मछली का प्रत्यक्षणः फैक्ट्री फॉर्मूलेटेड फीड का उपयोग कर शालीमार मत्स्य प्रक्षेत्र अवस्थित तालाबों में पॉच टन पंगेशियस मछली के उत्पादन का लक्ष्य है जिसमें 40/– रु0 प्रति किलोग्राम की अनुमानित दर से कुल मो0 2.00 लाख रु0 मात्र का व्यय किया जायेगा एवं प्राप्त मछलियों का जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति द्वारा अनुमोदित दर पर बिकी की जायगी।

ख. परिशिष्ट–V में उल्लिखित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरुप पूर्व संचालित एवं नए रंगीन मछली इकाई हेतु पूरक सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी। राज्य स्तर पर इसके सतत् अनुश्रवण की जिम्मेवारी सहायक मत्स्य निदेशक (अनुसंधान), राँची की होगी।

ग. प्रयोगशाला, पुस्तकालय एवं म्यूजियम के रख–रखाव, विभागीय तालाबों में देशी मांगुर, कवई आदि अन्य नई मत्स्य प्रजातियों के प्रायोगिक पालन, विभागीय प्रक्षेत्रों में पंगेशियस मत्स्य बीज उत्पादन हेतु ब्रूडर की तैयारी तथा मत्स्य विपणन/मत्स्य रोग पहचान एवं निदान आदि के लिए आई0टी0–बेस्ड कार्यकम/मत्स्य निदेशालय के वेबसाईट का रख–रखाव/मोबाईल एप्प/अन्य एप्प तथा साफ्टवेयर विकसित कराया जायेगा।

11. इस योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 से 2024–25 तक CIFRI, कोलकाता के सहयोग से राज्य के तीन जलाशयों–मसरिया (गुमला), घघरा (हजारीबाग) तथा केलाघाघ (सिमडेगा) में क्रियान्वित Pilot Project-Giant Freshwater Prawn fisheries in Reservoirs को द्वितीय फसल चक्र हेतु (वित्तीय वर्ष 2025–26 से 2027–28) तक के लिए विस्तारित किया जाता है तथा राज्य के छः नए जलाशयों में भी CIFRI, कोलकाता के सहयोग से परियोजना कार्यान्वित की जाएगी।

इस हेतु CIFRI, कोलकाता से प्राप्त Improving Livelihood of tribal communities through Scampi Fisheries enhancement technologies in uder- utilized reservoir resources of Jharkhand के DPR के अधीन राज्य के छः जलाशयों (1. लातेहार जिला में बचरा जलाशय 2. लोहरदगा जिला में नन्दिनी जलाशय 3. गुमला जिला में धनसिंह जलाशय 4. दुमका जिला में बंकीबेरा जलाशय 5. राँची जिला में करांजी एवं ओपा जलाशय) में Giant Freshwater Prawn Fisheries का पालन किया जाएगा। इस हेतु अलग–अलग संभावित व्यय विवरणी निम्न प्रकार है–

(क) CIFRI, कोलकाता के DPR के अनुरुप वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्यादेश सं0 05 रा0 (वि0) दिनांक 13.06.2024 द्वारा मसरिया (गुमला), घघरा (हजारीबाग) तथा केलाघाघ (सिमडेगा) के लिए स्वीकृत पायलट परियोजना – Improving Livelihood of tribal communities through Scampi Fisheries enhancement technologies in under-utilized reservoir resources of Jharkhand को वित्तीय वर्ष 2025–26 से 2027–28 तक द्वितीय फसल चक्र हेतु विस्तारित करने की स्वीकृत व्यय विवरणी –

SN	Major Heads	मद	Financial Details (in lakh Rs.)				
			Current FY 2025-26		FY 2026-27 & 2027-28		Total
			1st Year		2nd Year	3rd Year	
			Tentative Budget Proposed by CIFRI, Kolkata	Sanctioned in 2025-26 vide current Sanction Order No.	Tentative Budget Proposed by CIFRI, Kolkata	Tentative Budget Proposed by CIFRI, Kolkata	(4 +6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Trained Manpower – Young Professional (YP – I) (4 nos.) @ Rs. 30,000/- per month for 30 months *	मानदेय	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
		Sub- Total	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2	Procurement of pen, 0.4 ha / reservoir and maintenance	आपूर्ति एवं सामग्री	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
3	Seed procurement for stocking @ 500 nos / ha		8.00	8.00	8.00	0.00	**16.00**
SN	**Major Heads**	**मद**	**Current FY 2025-26**		**FY 2026-27 & 2027-28**		**Total**
			1st Year		**2nd Year**	**3rd Year**	
			Tentative Budget Proposed by CIFRI, Kolkata	**Sanctioned in 2025-26 vide current Sanction Order No.**	**Tentative Budget Proposed by CIFRI, Kolkata**	**Tentative Budget Proposed by CIFRI, Kolkata**	**(4 +6+7)**
4	Supplementary feeding cost @ 8 % BW in pen (PL – Juvenile) **	आपूर्ति एवं सामग्री	14.00	14.00	14.00	5.60	**33.60**
5	Minor items and consumables (Chemicals, glasswares, plastic wares etc.)		0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
		Sub- Total	**22.00**	**22.00**	**22.00**	**5.60**	**49.60**
6	Conducting Inception & Closing workshop – 2 no	प्रशिक्षण	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
7	Capacity building / Mass Awareness Program 3 nos		0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
8	TA for 3 YPs posted in field (3 no.)		0.50	0.50	0.49	0.45	**1.44**
		Sub- Total	**0.50**	**0.50**	**0.49**	**0.45**	**1.44**
9	TA / DA of CIFRI personnel (2 scientists, 1 technical staff, contractual staff per tour)	प्रशिक्षण (राज्य के बाहर प्रशिक्षण)	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
		Sub- Total	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10	Knowledge support charges	परामर्शी शुल्क	0.00	0.00	0.50	0.50	**1.00**
11	Documentation & Report preparation		0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
		Sub- Total	**0.00**	**0.00**	**0.50**	**0.50**	**1.00**
12	Operational contingency (Vehicle hiring, boat hiring, experimental fishing, labour charges etc)	अन्य व्यय	0.50	0.50	0.50	1.00	**2.00**
		Sub Total	**0.50**	**0.50**	**0.50**	**1.00**	**2.00**
		Total	**23.00**	**23.00**	**23.49**	**7.55**	**54.04**
13	Institutional charges (@10%)	प्रशिक्षण (राज्य के बाहर प्रशिक्षण)	2.30	2.30	2.35	0.75	5.40
		Sub Total	**2.30**	**2.30**	**2.35**	**0.75**	**5.40**
		Grand Total	**25.30**	**25.30**	**25.84**	**8.30**	**59.44**

*** YPs will be getting their fellowship from upcoming project (New Extension)**
**** For one lakh seed, feed material cost is Rs. 2.10 lakh**

(ख) CIFRI, कोलकाता से प्राप्त परियोजना Improving Livelihood of tribal communities through Scampi Fisheries Enhancement Technologies in under-utilized Reservoir Resources of Jharkhand अन्तर्गत छः नए जलाशयों के लिए वित्तीय वर्ष 2025–26 से 2027–28 तक के लिए स्वीकृत व्यय विवरणी –

Sl.	Major Heads	मद	Financial Details (in lakh Rs.)				
			Current FY		FY 2026-27 & 2027-28		Total
			1st Year		2nd Year	3rd Year	
			Tentative Budget Proposed by CIFRI, Kolkata	Sanctioned in 2025-26 vide current Sanction Order No.	Tentative Budget Proposed by CIFRI, Kolkata	Tentative Budget Proposed by CIFRI, Kolkata	(4 +6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Trained Manpower – Young Professional (YP – I) (4 nos.)@ Rs. 30,000/- per month for 30 months	मानदेय	9.60	9.60	14.40	12.00	**36.00**
		Sub- Total	**9.60**	**9.60**	**14.40**	**12.00**	**36.00**
2	Procurement of pen, 0.4 ha / reservoir and maintenance	आपूर्ति एवं सामग्री	0.00	0.00	16.00	0.00	**16.00**
3	Seed procurement for stocking @ 500 nos / ha		15.75	15.75	15.75	0.00	**31.50**
4	Supplementary feeding cost @ 8 % BW in pen (PL – Juvenile)		17.50	17.50	22.00	13.00	**52.50**
5	Minor items and consumables (Chemicals, glasswares, plastic wares etc.)		5.00	5.00	3.00	2.00	**10.00**
		Sub- Total	**38.25**	**38.25**	**56.75**	**15.00**	**110.00**
Sl.	Major Heads	मद	Current FY		FY 2026-27 & 2027-28		Total
			1st Year		2nd Year	3rd Year	
			Tentative Budget Proposed by CIFRI, Kolkata	Sanctioned in 2025-26 vide current Sanction Order No.	Tentative Budget Proposed by CIFRI, Kolkata	Tentative Budget Proposed by CIFRI, Kolkata	(4 +6+7)
6	Conducting Inception & Closing workshop – 2 no	प्रशिक्षण	2.50	2.50	0.00	2.50	**5.00**
7	Capacity building / Mass Awareness Program 3 nos		2.00	2.00	3.00	3.00	**8.00**
8	TA for 4 YPs posted in field (4 no.)		1.00	1.00	0.98	0.90	**2.88**
		Sub- Total	**5.50**	**5.50**	**3.98**	**6.40**	**15.88**
9	TA / DA of CIFRI personnel (2 scientists, 1 technical staff, contractual staff per tour)	प्रशिक्षण (राज्य के बाहर प्रशिक्षण)	5.00	5.00	4.00	2.75	**11.75**
		Sub- Total	**5.00**	**5.00**	**4.00**	**2.75**	**11.75**
10	Knowledge support charges	परामर्शी शुल्क	0.00	0.00	2.00	2.00	**4.00**
11	Documentation & Report preparation		0.00	0.00	0.00	2.00	**2.00**
		Sub- Total	**0.00**	**0.00**	**2.00**	**4.00**	**6.00**
12	Operational contingency (Vehicle hiring, boat hiring, experimental fishing, labour charges etc)	अन्य व्यय	2.00	2.00	1.00	1.00	**4.00**
		Sub Total	**2.00**	**2.00**	**1.00**	**1.00**	**4.00**
		Total	**60.35**	**60.35**	**82.13**	**41.15**	**183.63**
13	Institutional charges (@10%)	प्रशिक्षण (राज्य के बाहर प्रशिक्षण)	6.04	6.04	8.21	4.12	**18.36**
		Sub Total	**6.04**	**6.04**	**8.21**	**4.12**	**18.36**
		Grand Total	**66.39**	**66.39**	**90.34**	**45.27**	**201.99**

(i) CIFRI, कोलकाता द्वारा यह योजना मूलतः tribal communities की आजीविका में सुधार हेतु तैयार की गई है। इसलिए संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि चयनित जलाशयों पर अनुसूचित जनजाति के लाभुक अवश्य कार्यरत हों तथा जलाश्यों से महाझींगा उत्पादन प्राप्त

कर लाभान्वित हो सकें। साथ ही संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी इस योजना से लाभान्वित हो रहे लाभुकों के सम्बन्ध में प्रतिवेदन तैयार कर निदेशक मत्स्य के माध्यम से सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(ii) योजना का क्रियान्वयन सहायक मत्स्य निदेशक (अनुसंधान), राँची द्वारा CIFRI, कोलकाता एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, लोहरदगा/गुमला/ दुमका/राँची एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी, लातेहार से आवश्यक समन्वय स्थापित करते हुए किया जाएगा।

(iii) योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु यदि आवश्यक हो तो समय–समय पर मत्स्य निदेशालय द्वारा अनुदेश जारी किये जायेंगे।

(iv) योजना कार्यान्वियन पश्चात् CIFRI, कोलकाता द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन संबंधी विस्तृत प्रतिवेदन सहायक मत्स्य निदेशक (अनुसंधान), राँची के माध्यम से मत्स्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराया जायेगा। तत्पश्चात् ही आगे के वर्षों हेतु राशि उलब्ध करायी जायेगी।

(v) CIFRI, कोलकाता द्वारा यह योजना तीन वर्षों 2025 से 2028 तक के लिए प्रस्तावित है। अतएव प्रोजेक्ट के रूप में योजना की चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृति प्राप्त कर उपरोक्त कंडिकाओं के आलोक में आवश्यकतानुसार आगामी वित्तीय वर्षों 2026–27 एवं 2027–28 में भी इस हेतु राशि उपबंधित कराते हुए व्यय की जा सकेगी।

(vi) राशि का व्यय उपलब्ध बजट उपबंध अन्तर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा में की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में योजना का दोहरीकरण न हो। इस योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य CIFRI, कोलकाता से इस हेतु प्राप्त DPR के अनुरूप किया जाय।

(vii) इस परियोजना की स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक मत्स्य निदेशक (अनुसंधान) राँची होंगे जो आवंटित राशि के विरुद्ध संबंधित कोषागार से राशि की निकासी करेंगे। CIFRI, कोलकाता से माँग के अनुरुप तथा प्रतिवेदन के आधार पर नियमानुसार/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से CIFRI, कोलकाता को राशि उपलब्ध करायेंगे।

12. वित्तीय वर्ष 2020–21 में दिनांक 22.02.2021 को सम्पन्न राज्य योजना प्राधिकृत समिति की बैठक की निर्गत कार्यवाही ज्ञापांक–रा0 यो0 प्रा0–35/21 राँची, दिनांक 01.03.2021 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2020–21 में विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 40 रा0 (वि0)/मत्स्य दिनांक 22.03.2021 निर्गत है। इस वित्तीय वर्ष में भी संलग्न परिशिष्टों में उल्लिखित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरुप निम्न कार्य किया जायेगा :

(क) जलाशयों के केज कल्चर में केज मत्स्य पालकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये उन्हें Three Buckle 5 mm EPF foam filled the whole jacket, weight capacity : 70 - 120 kg, buoyancy 150 N, material – polyster water resistance, size – standard 68 cm X 37 cm X 10 cm, equipped with useful whistle का एक लाईफ जैकेट हेतु सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में निदेशक मत्स्य द्वारा उल्लिखित लाईफ जैकेट की इकाई लागत निर्धारित करने हेतु आमंत्रित "इच्छा की अभिव्यक्ति" में निर्धारित न्यूनतम दर 2420/– रुपये है। अतएव लाईफ जैकेट के निर्धारित न्यूनतम दर (मो0 2420/–रू0) पर ही 75 प्रतिशत अनुदान (अधिकतम मो0 1815/–रू0) देय होगा तथा 25 प्रतिशत लाभुक का अंशदान होगा।

लाभुकों का चयन जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति द्वारा किया जाएगा। इस समिति में संबंधित जलाशय के केज के क्षेत्र की मत्स्यजीवी सहयोग समिति के अध्यक्ष/सचिव अथवा दोनों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। वैसे केज लाभुक जिनके द्वारा केजों में वर्तमान में मछली पालन किया जा रहा है तथा लाभुक द्वारा अपना अंशदान लगाने की लिखित सहमति एवं विगत वर्षों का केज में मछली उत्पादन का आँकड़ा लिखित रूप में

आवेदन के साथ संलग्न किया गया हो। केज मत्स्य पालकों द्वारा उपरोक्त निर्धारित मूल्य के नये लाईफ जैकेट के क्रय का अभिश्रव प्रस्तुत करने पर अनुदान की राशि उनके बैंक खाते में डी0बी0टी0 की जाएगी। जिला मत्स्य पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/पर्यवेक्षक के द्वारा लाईफ जैकेट का भौतिक सत्यापन अनुदान विमुक्त करने के पूर्व किया जाएगा।

(ख) निजी क्षेत्र के चयनित कृषकों के तालाबों में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत स्वीकृत इकाई दर के अनुरुप ही प्रति हेक्टेयर मो0 4,00,000/– रु0 मात्र के दर पर महाझींगा का पालन किया जाएगा। इस हेतु राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं महिला कोटि के लाभुकों के लिए राज्य सरकार का अंशदान 80 प्रतिशत् (अधिकतम 3,20,000/– रू0 प्रति हेक्टेयर अथवा 1,28,000/– रु0 प्रति एकड़) तथा शेष अंशदान लाभुक का होगा। अन्य सभी कोटि के लाभुकों के लिये राज्य सरकार का अंशदान 70 प्रतिशत् (अधिकतम 2,80,000/– रू0 प्रति हेक्टेयर अथवा 1,12,000/– रु0 प्रति एकड़) तथा शेष अंशदान लाभुक का होगा। राज्य सरकार का अंशदान लाभुकों के बैंक खाते में डी0बी0टी0 की जाएगी।

लाभुक कृषकों के चयन की जिम्मेवारी समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के माध्यम से संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी के माध्यम से जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति की होगी। राज्य स्तर पर इसके सतत् अनुश्रवण की जिम्मेवारी सहायक मत्स्य निदेशक (अनुसंधान) राँची/उप मत्स्य निदेशक (अनुसंधान), मत्स्य निदेशालय, राँची की होगी तथा यदि आवश्यक हो तो निदेशक मत्स्य द्वारा इसके लिए दिशा–निदेश संबंधित जिलों को निर्गत किया जाएगा। लाभुकों के चयन के क्रममें यह सुनिश्चित हो लिया जाय कि एक ही लाभुक के लिए योजना का दोहरीकरण नहीं हो। योजना के प्रभावपूर्ण अनुश्रवण के लिए संबंधित लाभुकों का cluster बनाकर ही इसका क्रियान्वयन कराया जाय।

(ग) झारखण्ड स्टेट एप्लीकेशन सेंटर, धुर्वा, राँची की सहायता से राज्य के तालाबों के सैटेलाईट मैपिंग तथा मोबाईल एप्प के साथ वेब जी0आई0एस0 एप्लीकेशन विकसित किये जाने हेतु मो0 10.62 लाख रु0 मात्र का व्यय किया जाएगा।

(घ) निजी क्षेत्र के तालाबों में देशी माँगूर पालन एवं प्रत्यक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत स्वीकृत इकाई द र के अनुरुप ही प्रति हेक्टेयर मो0 4,00,000/– रु0 मात्र का दर होगा। इस हेतु झारखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं महिला कोटि के लाभुकों के लिए राज्य सरकार का अंशदान 80 प्रतिशत् (अधिकतम 3,20,000/–रू0 प्रति हेक्टेयर अथवा 1,28,000/– रु0 प्रति एकड़) तथा शेष अंशदान लाभुक का होगा। अन्य सभी कोटि के लाभुकों के लिये राज्य सरकार का अंशदान 70 प्रतिशत् (अधिकतम 2,80,000/– रू0 प्रति हेक्टेयर अथवा 1,12,000/– रु0 प्रति एकड़) तथा शेष अंशदान लाभुक का होगा। राज्य सरकार का अंशदान लाभुकों के बैंक खाते में डी0बी0टी0 की जाएगी।

(ड.) सभी जलक्षेत्र (निजी/बन्दोबस्त) के तालाबों/केज/Cemented Tank में Cluster Approach के तहत् मोती पालन एवं प्रत्यक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना अन्तर्गत स्वीकृत इकाई दर के अनुरूप ही मो0 20,000/–रू0 मात्र प्रति यूनिट का दर होगा। इस हेतु झारखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं महिला कोटि के लाभुकों के लिए राज्य सरकार का अंशदान 80% (अधिकतम मो0 16,000/–रू0 मात्र प्रति यूनिट) तथा शेष अंशदान लाभुक का होगा। अन्य सभी कोटि के लाभुकों के लिए राज्य सरकार का अंशदान 70% (अधिकतम मो0 14,000/–रू0 मात्र प्रति यूनिट) तथा शेष अंशदान लाभुक का होगा। राज्य सरकार का अंशदान लाभुकों के बैंक खाते में डी0बी0टी0 की जाएगी।

लाभुक कृषकों के चयन की जिम्मेवारी समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के माध्यम से संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी के माध्यम से जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति की होगी। राज्य स्तर पर इसके सतत् अनुश्रवण की जिम्मेवारी सहायक मत्स्य निदेशक (अनुसंधान) राँची की होगी तथा यदि आवश्यक हो तो निदेशक मत्स्य द्वारा इसके लिए दिशा–निदेश संबंधित जिलों को निर्गत किया जाएगा।

लाभुकों के चयन के कम में यह सुनिश्चित हो लिया जाय कि एक ही लाभुक के लिए योजना का दोहरीकरण नहीं हो। योजना के प्रभावपूर्ण अनुश्रवण के लिए संबंधित लाभुकों का cluster बनाकर ही इसका कियान्वयन कराया जाय।

13. इस योजना अंतर्गत 3 प्रतिशत तक दिव्यांग नीति, झारखण्ड के तहत् इच्छुक दिव्यांगों को लाभान्वित किया जा सकेगा।

14. आपूर्ति एवं सामग्री मद से आवश्यक कय वित्त विभाग द्वारा स्थापित प्रकिया के अंतर्गत किया जायेगा।

15. इस योजना अंतर्गत अनुमानित व्यय के आधार पर मदवार राशि स्वीकृत की गई है। मदवार स्वीकृत राशि की अधिसीमा अंतर्गत पारदर्शी तरीके से सभी स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन कर दर निर्धारित करते हुये संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

16. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक–2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरुपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

17. वित्तीय वर्ष 2024–25 में मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–2405 एवं 4405 में कुल स्वीकृत राशि मो0 1200.00 लाख रु0 मात्र के विरूद्ध मो0 772.18 लाख रु0 मात्र का व्यय किया गया है।

18. इस योजना अन्तर्गत सामग्री इत्यादि के कय में वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा स्थापित प्रकिया/शर्तों/नियमों का सुदृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

19. योजना के प्रभावपूर्ण अनुश्रवण के लिए संबंधित लाभुकों का cluster बनाकर ही इसका कियान्वयन कराया जाय।

20. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के guidelines में निहित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

21. वित्तीय वर्ष 2024–25 के वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों पर संतुष्ट होने के उपरांत ही आवंटन निर्गत किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में योजना का दोहरीकरण न हो। इसके उल्लंघन की स्थिति में संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः दोषी होंगे।

22. वित्तीय वर्ष 2025–26 में उपलब्ध बजटीय उपबंध के अन्तर्गत ही व्यय होगा।

23. इस योजना के अन्तर्गत कोई अग्रिम समायोजन हेतु लंबित नहीं है।

24. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं0–सी0 एस0–2/आर0 –01–2005–301 दिनांक 11.03.2015 तथा ज्ञापांक 1269 दिनांक 21.09.2023 के द्वारा प्रशासी विभाग को प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में निर्गत किया जाता है तथा इस योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् से प्रस्ताव की स्वीकृति आवश्यक नहीं है।

25. योजना स्वीकृति के प्रस्ताव पर मा० विभागीय मंत्री का निम्नांकित निदेशों के साथ अनुमोदन प्राप्त है :–

(i) योजना क्रियान्वयन के संबंध में वित्त विभाग/कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के साथ–साथ अन्य विभागीय शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) नियमानुसार आवश्यक उपयोगिता प्रमाण पत्र/व्यय प्रतिवेदन की प्राप्ति एवं अन्य सभी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर ली जायेगी।

26. स्वीकृत्यादेश प्रारुप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा निम्नांकित शर्त के साथ सहमति प्राप्त है :-

"मा० विभागीय मंत्री के निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने एवं वित्त विभाग झारखण्ड द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेशों/अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

27. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेब-साईट www.jharkhandfisheries.org पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक :- 11 स्था० (प०)/ राँची, दिनांक 04.07.25

प्रतिलिपिः- कोषागार पदाधिकारी (सभी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :- 11 स्था० (प०)/ राँची, दिनांक 04.07.25

प्रतिलिपिः-निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक (सभी)/प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश, राँची/जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी)/सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, राँची एवं मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :- 11 स्था० (प०)/ राँची, दिनांक 04.07.25

प्रतिलिपिः-योजना-सह-विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/आ० वि० सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त/माननीय विभागीय मंत्री के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

परिशिष्ट I

वित्तीय वर्ष 2025–26 में मांग संख्या–53–कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन–लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली पालन–उप शीर्ष–20–मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना अंतर्गत जिलावार भौतिक एंव वित्तीय लक्ष्य

क्र0	स्थापना / जिला का नाम	विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्ते–09–मानदेय			विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री															विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–19–मुद्रण	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–20–मेला एवं प्रदर्शनी	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–21–सेमिनार / समारोह / कार्यशाला / मत्स्य कृषकों की गोष्ठी		विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय–59–अन्य व्यय		कुल वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)
		मत्स्य मित्रों को कार्य के अनुरुप पारिश्रमिक का भुगतान	केज मित्रों के द्वारा सूचना संग्रहण एवं तकनीकी सहायता		विभागीय तालाबों में मिश्रित मत्स्य पालन		मोबाईल रिचार्ज कूपन		पायलट प्रोजेक्ट के रुप में अमूर कार्प / जयंति रोहू / तिलापिया / अमृत कतला आदि के मत्स्य बीज का संचयन		जलाशय स्तरीय मछुआरों (बिरसा मत्स्य किसान) के लिये आईडेन्टिटी कार्ड (डेटा सहित)		कार्यालय उपस्कर, जाल आदि	केज मत्स्य पालकों हेतु लाईफ जैकेट		निजी क्षेत्र मे महाझींगा पालन		मोती पालन		पोस्टर, पम्पलेट, बुकलेट, प्रचार–सामग्री, विभागीय पुस्तकें, दस्तावेज आदि की छपाई का वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	मेला, प्रदर्शनी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, डेटा इन्ट्री, फोटोग्राफी आदि का वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	मत्स्य कृषकों (बिरसा मत्स्य किसानों) की गोष्ठी का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	पुरस्कार/ सम्मान		
		वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	केज मित्रों का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	भौतिक लक्ष्य (ए0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	भौतिक लक्ष्य (ए0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)					भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	हजारीबाग	5.500	4	5.232	2.50	1.000	403	2.108	9000	0.180	100	0.150	1.000	65	1.1798	7	8.960	35	5.600	1.000	2.00	950	1.900	5	1.500	**37.3098**
2	रामगढ़	3.400	2	2.616	0.25	0.100	282	1.472	5000	0.100	50	0.075	1.000	30	0.5445	3	3.840	0	0.000	1.000	2.00	770	1.540	2	0.600	**18.2875**
3	कोडरमा	2.750	2	2.616	1.50	0.600	283	1.508	7000	0.140	100	0.150	1.000	50	0.9075	4	5.120	0	0.000	1.000	2.00	800	1.600	3	0.900	**20.2915**
4	चतरा	2.440	1	1.308	1.00	0.400	312	1.622	5000	0.100	30	0.045	1.000	10	0.1815	3	3.840	0	0.000	1.000	2.00	700	1.400	2	0.600	**15.9365**
5	बोकारो	3.500	3	3.924	1.50	0.600	362	1.872	9000	0.180	150	0.225	1.000	100	1.8150	4	5.120	0	0.000	1.000	2.00	700	1.400	3	0.900	**23.5360**
6	गिरिडीह	3.000	1	1.308	1.00	0.400	252	1.322	5000	0.100	30	0.045	1.000	20	0.3630	3	3.840	4	0.640	1.000	2.00	680	1.360	3	0.900	**17.2780**
7	धनबाद	3.500	2	2.616	1.00	0.400	345	1.880	7000	0.140	30	0.045	1.000	35	0.6353	3	3.840	4	0.640	1.000	2.00	800	1.600	3	0.900	**20.1963**
8	गोड्डा	3.000	1	1.308	0.50	0.200	282	1.472	4469	0.089	30	0.045	1.000	20	0.3630	2	2.560	0	0.000	1.000	2.00	700	1.400	2	0.600	**15.0374**
9	पलामू	3.250	1	1.308	1.50	0.600	342	1.772	4500	0.090	80	0.120	1.000	30	0.5445	2	2.560	0	0.000	1.000	2.00	750	1.500	3	0.900	**16.6445**
10	गढ़वा	3.000	1	1.308	1.50	0.600	302	1.572	5000	0.100	10	0.015	1.000	20	0.3630	2	2.560	0	0.000	1.000	2.00	600	1.200	2	0.600	**15.3180**
11	देवघर	4.500	2	2.616	0.00	0.000	362	1.872	6000	0.120	40	0.060	1.250	50	0.9075	2	2.560	0	0.000	1.000	2.00	1550	3.100	5	1.500	**21.4855**
12	मत्स्य कि0 प्र0 कें0, रॉंची	0.000	0	0.000	0.00	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0	0.0000	0	0.000	0	0.000	0.000	5.50	0	0.000	0	0.000	**5.5000**
कुल योग :		**37.840**	**20**	**26.1600**	**12.25**	**4.900**	**3527**	**18.4720**	**66969**	**1.3394**	**650**	**0.9750**	**11.2500**	**430**	**7.8045**	**35**	**44.800**	**43**	**6.880**	**11.000**	**27.50**	**9000**	**18.000**	**33**	**9.900**	**226.8209**

नोट :- कर्णांकित राशि को आवंटन नही समझा जाय।

(मो0 दो करोड़ छब्बीस लाख बिरासी हजार नब्बे रू0 मात्र)

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

परिशिष्ट–II

वित्तीय वर्ष 2025–26 में मांग संख्या–53–कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष 2405 मछली पालन–लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–उप शीर्ष–20–मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना अंतर्गत जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र0	स्थापना / जिला का नाम	विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्ते–09–मानदेय				विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री											
		मत्स्य मित्रों को कार्य के अनुरूप पारिश्रमिक का भुगतान	केज मित्रों के द्वारा सूचना संग्रहण एवं तकनीकी सहायता		तालाबों के सेटेलाईट मैपिंग तथा मोबाईल एप्प के साथ वेब जी0आई0एस0 एप्लीकेशन	विभागीय तालाबों में मिश्रित मत्स्य पालन		मोबाईल रिचार्ज कूपन		पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अमृत कार्य/प्रगति सेतु/तिलापिया/अमृत कतला आदि के मत्स्य बीज का संचयन		जलाशय सरीख मछुआरों (विरसा मत्स्य किसान) के लिये आईडेन्टिटी कार्ड (डेटा सहित)		कार्यालय उपस्कर, जाल आदि	केज मत्स्य पालकों हेतु लाईफ जैकेट	
		वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	केज मित्रों का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	भौतिक लक्ष्य (ए0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	राँची	6.250	3	3.924	0.000	1.50	0.600	310	1.694	18000	0.360	100	0.1500	0.650	50	0.9075
2	खूँटी	3.250	1	1.308	0.000	0.00	0.000	131	0.686	5000	0.100	20	0.0300	0.500	20	0.3630
3	गुमला	3.750	1	1.308	0.000	5.00	2.000	253	1.358	10000	0.200	30	0.0450	0.700	30	0.5445
4	सिमडेगा	3.294	1	1.308	0.000	0.50	0.200	191	0.986	6000	0.120	20	0.0300	0.700	50	0.9075
5	लोहरदगा	3.250	1	1.308	0.000	1.00	0.400	182	0.972	5000	0.100	20	0.0300	0.700	10	0.1815
6	लातेहार	3.000	0	0.000	0.000	1.00	0.400	231	1.186	6000	0.120	10	0.0150	0.900	0	0.0000
7	प0 सिंहभूम	4.000	2	2.616	0.000	2.00	0.800	307	1.608	6000	0.120	50	0.0750	0.700	100	1.8150
8	पूर्वी सिंहभूम	4.500	0	0.000	0.000	1.00	0.400	254	1.332	6000	0.120	0	0.0000	0.700	0	0.0000
9	सरायकेला	5.250	4	5.232	0.000	1.00	0.400	372	1.922	9000	0.180	50	0.0750	0.700	50	0.9075
10	दुमका	4.500	1	1.308	0.000	3.50	1.400	252	1.322	7000	0.140	30	0.0450	0.700	40	0.7260
11	जामताड़ा	3.250	1	1.308	0.000	2.00	0.800	182	0.972	6000	0.120	50	0.0750	0.700	30	0.5445
12	साहेबगंज	4.250	1	1.308	0.000	1.00	0.400	182	0.972	6000	0.120	0	0.0000	0.700	10	0.1815
13	पाकुड़	4.000	1	1.308	0.000	1.00	0.400	172	0.922	6000	0.120	20	0.0300	0.700	30	0.5445
14	मत्स्य कि0 प्र0 के0, राँची	0.000	0	0.000	0.000	2.00	0.800	4	0.144	15000	0.300	0	0.0000	0.000	0	0.0000
15	सहा0 म0 निदे0, अनुसंधान, राँची	0.000	0	0.000	0.000	0.00	0.000	5	0.180	9000	0.180	0	0.0000	0.750	0	0.0000
16	मत्स्य निदेशालय, राँची	0.000	0	0.000	10.620	0.00	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.0000	26.941	0	0.0000
	कुल योग :	52.544	17.000	22.236	10.620	22.50	9.000	3028	16.256	120000	2.400	400	0.6000	36.741	420	7.6230

क्र0	स्थापना / जिला का नाम	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री				विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–19–मुद्रण	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–20–मेला एवं प्रदर्शनी	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–21–सेमिनार/समारोह/कार्यशाला/मत्स्य कृषकों की गोष्ठी			विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–29–व्यवसायिक सेवाएँ	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–31–परामर्शी शुल्क	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–60–मूल्यांकन	विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय–59–अन्य व्यय		कुल वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)
		निजी क्षेत्र में महाझींगा पालन		मोती पालन		पोस्टर, पम्पलेट, बुकलेट, प्रचार–सामग्री, विभागीय पुस्तकें, दस्तावेज आदि की छपाई का वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	मेला, प्रदर्शनी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, डेटा इन्ट्री, फोटोग्राफी आदि का वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	मत्स्य कृषकों (विरसा मत्स्य किसानों) की गोष्ठी		सेमिनार, समारोह, कार्यशाला, राज्य प्रायोजित समारोह आदि का वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	सेवा शुल्क, तकनीकी सेवा शुल्क, बाह्य स्रोत से प्राप्त की जानेवाली PMU/Block chain technology जैसी अन्य सेवाएँ आदि का वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	विशेषज्ञों का सेवा शुल्क, परामर्श, अनुसंधान तथा तकनीकी सहायता पर व्यय आदि का वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	योजनाओं के मूल्यांकन पर व्यय आदि का वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	पुरस्कार / सम्मान		
		भौतिक लक्ष्य (ए0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)			भौतिक लक्ष्य (स0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)					भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	राँची	8	10.240	15	2.400	5.500	10.000	1200	2.400	0.000	0.000	0.000	0.000	5	1.500	46.5755
2	खूँटी	2	2.560	0	0.000	0.500	2.000	700	1.400	0.000	0.000	0.000	0.000	2	0.600	13.2970
3	गुमला	6	7.680	0	0.000	1.000	2.000	800	1.600	0.000	0.000	0.000	0.000	3	0.900	23.0855
4	सिमडेगा	4	5.120	0	0.000	1.000	2.000	650	1.300	0.000	0.000	0.000	0.000	2	0.600	17.5655
5	लोहरदगा	2	2.560	0	0.000	0.500	2.000	650	1.300	0.000	0.000	0.000	0.000	2	0.600	13.9015
6	लातेहार	2	2.560	0	0.000	0.500	2.000	800	1.600	0.000	0.000	0.000	0.000	2	0.600	12.8810
7	प0 सिंहभूम	6	7.680	13	2.080	1.000	2.000	900	1.800	0.000	0.000	0.000	0.000	3	0.900	27.1940
8	पूर्वी सिंहभूम	3	3.840	0	0.000	1.000	2.000	750	1.500	0.000	0.000	0.000	0.000	3	0.900	16.2920
9	सरायकेला	8	10.240	3	0.480	1.000	2.000	1000	2.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3	0.900	31.2865
10	दुमका	4	5.120	0	0.000	1.000	2.000	1200	2.400	0.000	0.000	0.000	0.000	3	0.900	21.5610
11	जामताड़ा	2	2.560	0	0.000	0.500	2.000	750	1.500	0.000	0.000	0.000	0.000	3	0.900	15.2295
12	साहेबगंज	2	2.560	10	1.600	1.000	2.000	600	1.200	0.000	0.000	0.000	0.000	2	0.600	16.8915
13	पाकुड़	6	7.680	0	0.000	0.500	2.000	600	1.200	0.000	0.000	0.000	0.000	2	0.600	20.0045
14	मत्स्य कि0 प्र0 के0, राँची	0	0.000	0	0.000	2.500	10.500	0	0.000	2.800	0.000	5.000	0.000	0	0.000	22.0440
15	सहा0 म0 निदे0, अनुसंधान, राँची	0	0.000	0	0.000	0.500	3.000	0	0.000	0.000	0.000	2.000	0.000	0	0.000	6.6100
16	मत्स्य निदेशालय, राँची	0	0.000	0	0.000	5.000	5.000	0	0.000	6.000	130.000	18.000	20.000	0	0.000	221.561
	कुल योग :	55	70.400	41	6.560	23.000	52.500	10600	21.200	8.800	130.000	25.000	20.000	35	10.500	525.980

(मो0 पाँच करोड़ पच्चीस लाख अन्ठानबे हजार रू0 मात्र)

नोट :- कर्णांकित राशि को आवंटन नहीं समझा जाय।

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

परिशिष्ट III

वित्तीय वर्ष 2025–26 में मांग संख्या–53–कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना–उप शीर्ष–20–मत्स्य प्रसार योजना अंतर्गत जिलावार भौतिक एंव वित्तीय लक्ष्य

क्र0	स्थापना / जिला का नाम	विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्ते–09–मानदेय	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री										विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–21–सेमिनार/ समारोह/ कार्यशाला/मत्स्य कृषकों की गोष्ठी		विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय–59–अन्य व्यय		कुल वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)
		मत्स्य मित्रों को कार्य के अनुरुप पारिश्रमिक का भुगतान	विभागीय तालाबों में मिश्रित मत्स्य पालन		मोबाईल रिचार्ज कूपन		पायलट प्रोजेक्ट के रुप में अमूर कार्प/जयति रोहू/तिलापिया आदि के मत्स्य बीज का संचयन		निजी क्षेत्र में महाझींगा पालन		मोती पालन		मत्स्य कृषकों (बिरसा मत्स्य किसानों) की गोष्ठी का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	पुरस्कार/ सम्मान		
		वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	भौतिक लक्ष्य (ए0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	भौतिक लक्ष्य (ए0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)			भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	रॉंची	1.00	0.50	0.20	100	0.500	0	0.000	1	1.28	0	0.00	120	0.24	1	0.30	3.520
2	खूंटी	1.00	0.00	0.00	40	0.200	1000	0.020	0	0.00	0	0.00	60	0.12	0	0.00	1.340
3	गुमला	1.00	0.00	0.00	50	0.250	2000	0.040	1	1.28	0	0.00	80	0.16	0	0.00	2.730
4	सिमडेगा	1.00	0.00	0.00	20	0.100	0	0.000	0	0.00	0	0.00	60	0.12	0	0.00	1.220
5	लोहरदगा	1.00	0.00	0.00	40	0.200	1500	0.030	0	0.00	0	0.00	50	0.10	1	0.30	1.630
6	लातेहार	1.00	0.00	0.00	30	0.150	1200	0.024	0	0.00	0	0.00	60	0.12	1	0.30	1.594
7	प0 सिंहभूम	1.00	0.00	0.00	30	0.150	2000	0.040	0	0.00	2	0.32	90	0.18	1	0.30	1.990
8	पूर्वी सिंहभूम	1.00	0.00	0.00	30	0.150	1500	0.030	0	0.00	0	0.00	60	0.12	1	0.30	1.600
9	सरायकेला	1.00	0.50	0.20	50	0.250	0	0.000	1	1.28	7	1.12	100	0.20	0	0.00	4.050
10	दुमका	1.00	0.50	0.20	30	0.150	2000	0.040	0	0.00	0	0.00	160	0.32	1	0.30	2.010
11	जामताड़ा	1.00	0.50	0.20	30	0.150	1500	0.030	1	1.28	0	0.00	50	0.10	0	0.00	2.760
12	साहेबगंज	1.00	0.00	0.00	30	0.150	0	0.000	0	0.00	0	0.00	50	0.10	0	0.00	1.250
13	पाकुड़	1.00	0.00	0.00	40	0.200	1500	0.030	1	1.28	0	0.00	50	0.10	0	0.00	2.610
14	हजारीबाग	1.00	0.50	0.20	70	0.350	2500	0.050	1	1.28	5	0.80	120	0.24	1	0.30	4.220
15	रामगढ़	1.00	0.50	0.20	30	0.150	1500	0.030	0	0.00	0	0.00	100	0.20	1	0.30	1.880
16	कोडरमा	1.00	0.50	0.20	50	0.250	2000	0.040	1	1.28	0	0.00	120	0.24	1	0.30	3.310
17	चतरा	1.00	0.00	0.00	30	0.150	1500	0.030	1	1.28	0	0.00	90	0.18	0	0.00	2.640
18	बोकारो	1.00	0.50	0.20	50	0.250	2000	0.040	1	1.28	0	0.00	110	0.22	0	0.00	2.990
19	गिरिडीह	1.00	0.50	0.20	50	0.250	1700	0.034	1	1.28	1	0.16	70	0.14	0	0.00	3.064
20	धनबाद	1.00	0.50	0.20	45	0.225	2500	0.050	1	1.28	1	0.16	80	0.16	0	0.00	3.075
21	गोड्डा	1.00	0.00	0.00	45	0.225	1500	0.030	1	1.28	0	0.00	50	0.10	0	0.00	2.635
22	पलामू	1.00	0.50	0.20	30	0.150	1500	0.030	1	1.28	0	0.00	50	0.10	0	0.00	2.760
23	गढ़वा	1.00	1.00	0.40	20	0.100	1500	0.030	0	0.00	0	0.00	50	0.10	0	0.00	1.630
24	देवघर	1.00	0.00	0.00	60	0.300	2600	0.052	0	0.00	0	0.00	170	0.34	1	0.30	1.992
	कुल योग :	**24.00**	**6.50**	**2.60**	**1000**	**5.000**	**35000**	**0.700**	**13**	**16.64**	**16**	**2.56**	**2000**	**4.00**	**10**	**3.00**	**58.500**

नोट :- कर्णांकित राशि को आवंटन नहीं समझा जाय।

(मो0 अन्ठावन लाख पचास हजार रू0 मात्र)

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

परिशिष्ट IV

वित्तीय वर्ष 2025–26 में मांग संख्या–53–कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन–उप शीर्ष–20–मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना अंतर्गत जिलावार भौतिक एंव वित्तीय लक्ष्य

क्र0	स्थापना / जिला का नाम	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–35–प्रशिक्षण व्यय														विस्तृत शीर्ष–03 –प्रशासनिक व्यय– 23– आपूर्ति एवं सामग्री (वि0ल0 लाख रू0 में)		वित्तीय योग (लाख रू0 में)
		मत्स्य बीज उत्पादकों का 03 दिवसीय प्रशिक्षण (प्रशिक्षणार्थियों की संख्या का भौतिक लक्ष्य)				मत्स्य बीज उत्पादकों / मत्स्य कृषकों आदि हितधारकों का 01 से 03 दिवसीय कार्यशाला / सेमिनार (प्रशिक्षणार्थियों की संख्या का भौतिक लक्ष्य)				05 दिवसीय प्रशिक्षण / विषय आधारित प्रशिक्षण (प्रशिक्षणार्थियों की संख्या का भौतिक लक्ष्य)				राज्य में / राज्य के बाहर अन्य संस्थानो में / द्वारा प्रशिक्षण–सह–स्थल भ्रमण (वि0ल0				
		101– अन्तर्देशीय मछली पालन	796– जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	789– अनु0 जातियों के लिए विशेष घटक योजना	उप योग	101– अन्तर्देशीय मछली पालन	796– जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	789– अनु0 जातियों के लिए विशेष घटक योजना	उप योग	101– अन्तर्देशीय मछली पालन	796– जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	789– अनु0 जातियों के लिए विशेष घटक योजना	उप योग	101– अन्तर्देशीय मछली पालन	796– जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	101– अन्तर्देशीय मछली पालन	796– जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	राँची	0	282	100	382	0	105	38	143	0	280	70	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	खूँटी	0	130	40	170	0	50	15	65	0	190	40	230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	गुमला	0	250	50	300	0	80	30	110	0	200	50	250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	सिमडेगा	0	190	20	210	0	50	15	65	0	190	40	230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	लोहरदगा	0	180	40	220	0	50	25	75	0	205	40	245	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	लातेहार	0	230	30	260	0	70	15	85	0	190	40	230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	प0 सिंहभूम	0	328	30	358	0	100	15	115	0	280	30	310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	पूर्वी सिंहभूम	0	260	30	290	0	90	10	100	0	190	40	230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	सरायकेला	0	370	50	420	0	149	25	174	0	260	60	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दुमका	0	250	30	280	0	90	15	105	0	312	50	362	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	जामताड़ा	0	180	30	210	0	50	15	65	0	190	40	230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	साहेबगंज	0	180	30	210	0	50	15	65	0	200	40	240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	पाकुड़	0	170	40	210	0	50	15	65	0	190	40	230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	हजारीबाग	400	0	70	470	160	0	35	195	290	0	70	360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	रामगढ़	280	0	30	310	100	0	25	125	210	0	40	250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	कोडरमा	280	0	50	330	110	0	35	145	230	0	50	280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	चतरा	310	0	30	340	110	0	25	135	210	0	50	260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	बोकारो	360	0	50	410	150	0	35	185	230	0	40	270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	गिरिडीह	250	0	50	300	100	0	33	133	200	0	60	260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	धनबाद	340	0	45	385	120	0	30	150	245	0	50	295	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	गोड्डा	280	0	45	325	100	0	30	130	190	0	50	240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	पलामू	340	0	30	370	120	0	30	150	210	0	50	260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	गढ़वा	300	0	20	320	110	0	25	135	210	0	50	260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	देवघर	360	0	60	420	150	0	35	185	400	0	50	450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग : भौतिक लक्ष्य	3500	3000	1000	7500	1330	984	586	2900	2625	2877	1140	6642	0	0	0	0	0
25	म0कि0प्र0कें0 का वि0ल0 (लाख रू0 में)	7.875	6.750	2.250	16.875	19.950	14.760	8.790	43.500	55.125	60.417	23.940	139.482	12.05	33.733	12.7191	14.23	272.5891
	योग : वित्तीय लक्ष्य	7.875	6.750	2.250	16.875	19.950	14.760	8.790	43.500	55.125	60.417	23.940	139.482	12.05	33.733	12.7191	14.23	272.5891

नोट :- कर्णांकित राशि को आवंटन नहीं समझा जाय।

(मो0 दो करोड़ बहत्तर लाख अन्ठावन हजार नौ सौ दस रू0 मात्र)

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

परिशिष्ट V

वित्तीय वर्ष 2025–26 में मांग संख्या–53–कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन–उप शीर्ष–20–मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना अंतर्गत जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र0	कार्य	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	कुल वित्तीय योग (लाख रू0 में)
		म0कि0 प्र0के0	अनुसंधान	गुमला	जमशेदपुर	सिमडेगा	लातेहार	हजारीबाग	कोडरमा	बोकारो	देवघर	दुमका	जामताड़ा	धनबाद	राँची	मत्स्य निदेशालय	
क	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन																
i	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री																
1	शालीमार मत्स्य प्रक्षेत्र में 5000 कि0ग्रा0 पंगस मछली का उत्पादन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2	पूर्व संचालित रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) हेतु पूरक सामग्री का भौतिक लक्ष्य (संख्या में)	0	70	0	0	0	0	60	24	21	80	0	0	50	0	0	305
3	पूर्व संचालित रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) हेतु पूरक सामग्री का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2.40	2.10	8.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	30.50
4	नए रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) का भौतिक लक्ष्य (संख्या में)	0	25	0	0	0	0	12	10	0	10	0	0	10	0	0	67
5	नए रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	13.40
6	रंगीन मछली पालन/ प्रजनन इकाई के रख-रखाव का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
7	समेकित मत्स्य पालन, रख-रखाव, नाव जाल एवं अन्य प्रायोगिक कार्य का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
8	प्रयोगशाला, पुस्तकालय एवं म्यूजियम का रखरखाव एवं अन्य प्रयोगात्मक कार्य का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
9	विभागीय प्रक्षेत्रों में पंगेशियस मत्स्य बीज उत्पादन हेतु ब्रूडर के तैयारी का भौतिक लक्ष्य (कि0 ग्रा0 में)	0	0	0	0	0	0	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	3000
10	विभागीय प्रक्षेत्रों में पंगेशियस मत्स्य बीज उत्पादन हेतु ब्रूडर के तैयारी का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
11	निजी क्षेत्र के तालाबों में देशी मॉंगूर पालन एवं प्रत्यक्षण का भौतिक लक्ष्य (एकड़ में)	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
12	निजी क्षेत्र के तालाबों में देशी मॉंगूर पालन एवं प्रत्यक्षण का वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.96
13	CIFRI, कोलकाता के माध्यम से scampi fisheries in under – utilized reservoirs (2nd Phase) के प्रायोगिक पायलट प्रोजेक्ट अंतर्गत प्रथम वर्ष के Pen/Seed/Feed का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
	उप योग	14.00	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	8.90	4.90	2.60	10.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	85.86
	योग : 101-अन्तर्देशीय मछली पालन:	14.00	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	8.90	4.90	2.60	10.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	85.86
ख	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना																
i	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री																
1	पूर्व संचालित रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) हेतु पूरक सामग्री का भौतिक लक्ष्य (संख्या में)	0	100	12	61	7	0	0	0	0	0	20	2	0	0	0	202
2	पूर्व संचालित रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) हेतु पूरक सामग्री का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	0.00	10.00	1.20	6.10	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.20	0.00	0.00	0.00	20.20
3	नए रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) का भौतिक लक्ष्य (संख्या में)	0	15	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
4	नए रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	0.00	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
5	रंगीन मछली पालन/ प्रजनन इकाई के रख-रखाव का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
6	विभागीय प्रक्षेत्रों में पंगेशियस मत्स्य बीज उत्पादन हेतु ब्रूडर के तैयारी का भौतिक लक्ष्य (कि0 ग्रा0 में)	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	2000
7	विभागीय प्रक्षेत्रों में पंगेशियस मत्स्य बीज उत्पादन हेतु ब्रूडर के तैयारी का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	1.00
8	विभागीय तालाबों में देशी मांगुर तथा कवई आदि नई प्रजातियों के प्रायोगिक पालन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
9	निजी क्षेत्र के तालाबों में देशी मॉंगूर पालन एवं प्रत्यक्षण का भौतिक लक्ष्य (एकड़ में)	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
10	निजी क्षेत्र के तालाबों में देशी मॉंगूर पालन एवं प्रत्यक्षण का वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	0.00	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.24
11	CIFRI, कोलकाता के माध्यम से scampi fisheries in under – utilized reservoirs (2nd Phase) के प्रायोगिक पायलट प्रोजेक्ट अंतर्गत प्रथम वर्ष के minor items/seed/feed आदि का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में) (राज्यादेश सं0 05 रा0 (वि0) दिनांक 13.06.2024 द्वारा स्वीकृत एवं वर्तमान में अवधि विस्तारित परियोजना तथा 6 नए जलाशयों के लिए प्रथम वर्ष हेतु)	0.00	57.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.75
	उप योग	2.50	82.99	2.20	9.10	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.20	0.00	0.50	0.00	101.19
ii	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-35-प्रशिक्षण व्यय																
	राज्यादेश सं0 05 रा0 (वि0) दिनांक 13.06.2024 द्वारा स्वीकृत एवं वर्तमान में अवधि विस्तारित परियोजना तथा 6 नए जलाशयों हेतु																
12	CIFRI, कोलकाता के माध्यम से scampi fisheries in under – utilized reservoirs (2nd Phase) के प्रायोगिक पायलट प्रोजेक्ट अंतर्गत दो Inception & Closing workshop का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
13	CIFRI, कोलकाता के माध्यम से scampi fisheries in under – utilized reservoirs (2nd Phase) के प्रायोगिक पायलट प्रोजेक्ट अंतर्गत तीन Capacity building / Mass Awareness Program (प्रथम वर्ष हेतु) का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
14	CIFRI, कोलकाता के माध्यम से scampi fisheries in under – utilized reservoirs (1st & 2nd Phase) के प्रायोगिक पायलट प्रोजेक्ट अंतर्गत TA for 4 Yps posted in field (4 no.) (प्रथम वर्ष हेतु) का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
15	TA/DA of CIFRI Personnel (2 Scientists, 1 technical staff, contractuual staff based on per tour) (2nd Phase)	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
16	Institutional charges (@10%) (1st & 2nd Phase)	0.00	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.34
	उप योग	0.00	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.34
iii	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय																
17	CIFRI, कोलकाता के माध्यम से scampi fisheries in under – utilized reservoirs (1st & 2nd Phase) के प्रायोगिक पायलट प्रोजेक्ट अंतर्गत प्रथम वर्ष के Operational contingencies का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
iv	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-81-सूचना, संचार एवं संचरण सेवाएँ																
18	आई टी बेस्ड कार्यक्रम का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00
v	विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते-09-मानदेय																
19	CIFRI, कोलकाता के माध्यम से scampi fisheries in under – utilized reservoirs (1st & 2nd Phase) के प्रायोगिक पायलट प्रोजेक्ट अंतर्गत प्रथम वर्ष के Trained Manpower – Young Professional (YP – I) (4 nos.) @ Rs. 30,000/- per month हेतु राशि (लाख रू0 में)	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
20	अनुसंधान तथा जमशेदपुर केन्द्र में रंगीन मछली प्रजनन हेतु मानदेय का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	उप योग	0.00	14.60	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.60
	योग : 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना:	2.50	124.43	2.20	14.10	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.20	0.00	0.50	5.00	152.63
ग	लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना																
i	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री																
1	पूर्व संचालित रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) हेतु पूरक सामग्री का भौतिक लक्ष्य (संख्या में)	0	56	0	35	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	101
2	पूर्व संचालित रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) हेतु पूरक सामग्री का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	0.00	5.60	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.10
3	नए रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) का भौतिक लक्ष्य (संख्या में)	0	22	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	5	0	0	37
4	नए रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	7.40
	योग : 789 - अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना	0.00	10.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	17.50
	कुल योग	16.50	172.89	2.20	17.60	1.70	0.00	8.90	7.90	2.60	10.00	2.00	0.20	8.00	0.50	5.00	255.99

(मो0 दो करोड़ पचपन लाख निन्यानवे हजार रू0

नोट :- कर्णांकित राशि को आवंटन नहीं समझा जाय।

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव